

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 23 / 2016 -17

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 29.06.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 29.06.2016 – Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 125 वीं बैठक दिनांक 29.06.2016 को 1600 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 125th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1600 hrs on 29.06.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. Aneish P. Rajan, Deputy Commissioner
2. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
3. V. Umadevi, Asst. Commissioner
4. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
5. Debashish Paul, Asst. Commissioner
6. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
8. Gomathy G., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod, Cochin Port Trust
2. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
3. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
4. J. Raghupathy, CDSCO
5. K. Raghupathy. Textile Committee
6. K. Suresh Babu, CFS, CPT
7. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
8. Jayaraj P V, CFS, CICFS
9. Anwar Sadath, CFS, CICFS
10. Philip Antony, CFS, MIV Logistics
11. Abraham Philip, Cochin Custom House Agents Association
12. M. B. Nandakumar, Cochin Custom House Agents Association
13. Paul Abrao, Cochin Custom House Agents Association
14. A. A. Abdul Azees, India Chambers of Commerce and Industry

15. N.N. Menon, EPC for EOU and SEZ Unit (Leave of absence permitted)

16. A. K Vijayakumar, FIEO (Leave of absence permitted)

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

ACTION ON MINUTES OF LAST MEETING

बिंदु सं. 1: सीमाशुल्क बंदरगाह में रुकने वाले जहाजों को सीमाशुल्क निकासी जारी करने के लिए प्रलेखन प्रक्रिया की समीक्षा। (परिपत्र सं. 16/2016-17 में बिंदु सं. 4)

Point No. 1: REVIEW OF DOCUMENTATION PROCESS FOR ISSUANCE OF CUSTOMS CLEARANCE FOR SHIPS CALLING AT CUSTOMS PORT. (Point No. 4 in Circular No. 16/2016-17)

अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि क्या स्टीमर एजेंट और सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने पोर्ट निकासी के लिए सीमाशुल्क के समक्ष कौन-कौन से दस्तावेज दायर करने हैं, के बारे में चर्चा करके निष्कर्ष निकाल लिया है?

The chair enquired whether the steamer agents and customs authorities discussed and finalized regarding what all documents are to be filed before customs for port clearance.

स्टीमर एजेंटों ने सूचित किया कि वे इसके बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से आने वाले हफ्ते में ही चर्चा करेंगे।

The steamer agents informed that they will discuss with customs authorities and decide on the same in the coming week itself.

[कार्रवाई: स्टीमर एजेंट Action: Steamer Agents]

बिंदु सं. 2: कंटेनर परमिट के तहत उतारे गए कंटेनरों के आयात संबंधी निबंधन एवं शर्तों की पुनरीक्षा करना – (परिपत्र सं. 16/2016-17 में बिंदु सं. 5)

Point No. 2: TO REVISIT THE TERMS AND CONDITION OF EXPORT OF CONTAINERS LANDED UNDER A CONTAINER PERMIT.- (Point No. 5 in Circular No. 16/2016-17)

अध्यक्ष महोदय ने दुबारा जानना चाहा कि क्या जहाज से उतारे जाने के बाद कंटेनरों के लिए 12 महीने की अतिरिक्त अवधि प्रदान करते हुए उन्हें स्थाई आदेश जारी करना है।

The chair again enquired whether he should issue a standing order granting extension period up to 12 months of landing of a container from the ship.

सीएसए के सदस्यों ने राय दी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और यथास्थिति बनाई रखी जाए।

The members of CSAA opined that it is not necessary and agreed that status quo be maintained.

बिंदु सं. 3 भंडारण संबंधी नए विनियम (परिपत्र सं. 16/2016-17 में बिंदु सं.7)

Point No. 3: NEW WAREHOUSING REGULATIONS (Point No. 7 in Circular No. 16/2016-17)

अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या किसीको भंडारण संबंधी नए विनियमों के कार्यान्वयन के कारण किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

The chair enquired if any person is facing any difficulties due to the implementation of the new warehousing regulations.

सभी ने भंडारण संबंधी नए विनियमों के बारे में एक क्लास लेने का अनुरोध किया।

All requested the need for a class on new warehousing regulations.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि इसकी व्यवस्था की जाएगी और सूचित किया जाएगा।

The chair replied that the same shall be arranged and informed.

[कार्रवाई : अधीक्षक (आई एण्ड बी) Action: Supdt (I&B)]

बिंदु सं. 4: रीफर कंटेनरों की निकासी में देरी- हो रही मुश्किलें (परिपत्र सं. 16/2016 में बिंदु सं. 8)

Point No. 4: DELAY IN CLEARANCE OF REEFER CONTAINERS- DIFFICULTIES FACED (Point No. 8 in Circular No. 16/2016-17)

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि कोच्ची में पशु संगरोध (ए.क्यू.) अधिकारी के न होने के कारण शीतीकृत समुद्री माल की निकासी में हो रहे विलंब के मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया और इसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क गृह में ए.क्यू. से एक अधिकारी को तैनात किया गया है और वे गुरुवार और शुक्रवार को सीमाशुल्क गृह में उपलब्ध होंगे। सदस्यों ने इस खबर का स्वागत किया।

The chair informed the members that the issue of pendency in clearance of frozen marine consignments due to absence of Animal Quarantine (AQ) officer in Kochi was taken up with the concerned authorities and as a result an officer from AQ has been posted in Custom House and he will be available in Custom House on Thursdays and Fridays. The members welcomed this news.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION.

बिंदु सं. 5 : आईसीटीटी, वल्लारपाडम में सुविधाएं/ सुरक्षा अपेक्षाएं (कोचिन सीमाशुल्क एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point No. 5: FACILITIES/ SAFETY REQUIREMENTS AT ICTT, VALLARPADAM (Raised by Cochin Custom House Agent's Association)

सीसीएचए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि आईसीटीटी के अंदर मुख्य द्वार और प्रलेखन केंद्र के बीच शटल सेवा बहुत कम है और ऐसा कई बार हुआ है कि जब शटल वाहन स्टेराइल क्षेत्र में जाता है तो वह 45-60 मिनट बाद ही वापस आता है और इससे विशेषकर जहाज के कट-ऑफ समय के दौरान उनके सदस्यों को बहुत परेशानी होती है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मुख्य द्वारा से प्रलेखन केंद्र तक पैदल रास्ता चिह्नित किया हुआ है फिर भी उनके सदस्य उसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं होते हैं क्योंकि उक्त रास्ते में कई विषैले सांप होते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वहां कोई पार्किंग शेड नहीं है तथा यह भी कहा कि उन्होंने पार्किंग शेड और उनके सदस्यों के स्टाफ के लिए आराम करने का कमरा उपलब्ध करवाने के संबंध में क्यूएचएसई के महाप्रबंधक तथा पोर्ट के अध्यक्ष को अभ्यावेदन दिया है।

The CCHAA informed the chair that the frequency of shuttle services inside ICTT between the main gate and documentation centre were minimal and there were many instances

when the shuttle vehicle goes to the sterile area, it comes back only after 45-60 minutes. and that this created a lot of problems for their members, especially during the time of cutoff of the vessel. They further informed that even though there is a walkway marked from main gate to the documentation centre, their staffs were not in a position to use it as there are lots of poisonous snakes in the said area. They also informed that there is no parking shed and said that they have given representation to General Manager-QHSE and also to Port Chairman requesting to provide a parking shed and a rest room for the staff of our members

श्री डी. पॉल, सहायक आयुक्त ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उन्होंने सीईपीसी, वल्लारपाडम, आईसीटीटी में मौजूदा सुविधाओं की जांच की है और आईसीटीटी द्वार के बाहर सार्वजनिक स्थल पर आईसीटीटी/डीपी वर्ल्ड द्वारा कोई दूसरा निर्माण कार्य करने की संभावना नहीं है तथा ऐसा करना गैर-कानूनी होगा क्योंकि उस जगह से एलएनजी पाइपलाइन गुजर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सड़क पर कोई बस स्टॉप/शेड नहीं है और आईसीटीटी एरिया के अंदर निजी वाहनों का प्रवेश व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने यह सलाह भी दी कि पार्किंग एरिया के लिए आईसीटीटी द्वार के बाहर वाले साफ, घास रहित, सपाट जमीन पर रात के समय और अधिक रोशनी देनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सीईपीसी 24x7 काम कर रही है, इसलिए आराम करने की जगह की कोई ज़रूरत नहीं है और सार्वजनिक कमरे में और डीपी वर्ल्ड काउंटरों के पास अधिक कुर्सियां/बेंच उपलब्ध करवाए जाना काफी है। शटल सेवा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि शटल सेवा की आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है और क्योंकि सीईपीसी में मुख्यतः रात में काम होता है, इसलिए इसे रात भर उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शटल वाहन के ऑपरेटर का मोबाइल/संपर्क नंबर उपलब्ध करवाया जा सकता है ताकि स्थिति/आगमन के समय का पता लगाया जा सके और शटल वाहन का इंतज़ार करने वाले, सेक्यूरिटी के पास वाहन को कॉल करने के लिए संपर्क कर सके।

Shri. D. Paul, AC informed the chair that he checked the facilities existing at the CEPC Vallarpadam, ICTT and that there was no scope for any other construction in the public area outside the ICTT gate by the ICTT/DP world and that it may not be legal as there is an LNG Pipeline passing in that area. He also said that there are no bus stops/sheds on the Main road and entry of the private vehicles in the ICTT area is also not feasible. He further suggested that for parking area, the clean, grass free, level ground outside ICTT gate, could be given more illumination at night. He further said that as the CEPC is working 24x7, no rest rooms required and that it is enough to provide more chairs/ benches in the common room and near the DP World counters. With respect to shuttle service he suggested that the frequency of the shuttle service could be increased and as the work at CEPC is mainly at night, it may be required to be made available throughout the night. He said that the Mobile/contact No. of the Operator of the shuttle vehicle could be made available to know the status/ arrival time and also those waiting for the Shuttle vehicle could approach the security to call the vehicle.

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे संबंधित प्राधिकारियों से वेटिंग शेडों का मामला उठाएं।

Shri. Abraham Philip requested the chair to take up the matter of waiting sheds with the concerned authorities.

अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि वे पंचायत के साथ यह मामला उठाएंगे और इसके लिए अगर भुगतान की ज़रूरत पड़ती है, तब भी इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

The chair assured that he shall take it up with the Panchayat and it shall be done even if payment is necessary.

बिंदु सं.6 : ईडीआई सिस्टम खराब होने की वजह से होने वाली परेशानियां (कोचिन सीमाशुल्क गृह एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point No. 6: HARSHIPS FACED DUE TO EDI SYSTEM BREAKDOWN (Raised by Cochin Custom House Agent's Association)

सीसीएचए के श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि जब ईडीआई सिस्टम खराब होता है, तो उनके सदस्य निर्यात संबंधी सीमाशुल्क कार्य जैसे परीक्षण, नौवहन बिलों का प्रिंट आउट लेना आदि नहीं कर पाते और निर्यात संबंधी सभी कार्य विशेष कर हाउस स्टपड कारगो के कार्य एक दम रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि महीने के अंत में यह समस्या और बढ़ जाती है जब शिपमेंट की अंतिम तारीख खत्म हो जाती है और सदस्यों पर यह सुनिश्चित करने का बहुत दबाव होता है कि शिपमेंट अंतिम/निर्धारित तारीख से पहले जहाज पर चढा दिया जाए। और ऐसी स्थिति में शिपमेंट रद्द हो जाता है या पाने वाले की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि सिस्टम खराब होने की स्थिति में मैनुअल जांच की जाए और बहुत जरूरी होने पर निर्यात के लिए कंटेनरों को स्टैक करने या जहाज पर चढाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रीफर कंटेनरों के मामले में यदि कंटेनरों को टर्मिनल में स्टैक करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे वापस फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा या ट्रैलर जनरेटर में प्लग-इन करना पड़ेगा जिससे अतिरिक्त खर्चा होगा।

Shri. Abraham Philip from CCHAA informed the chair that when the EDI system breaks down their members are unable to do any Export related Customs work such as examination, taking print out of Shipping Bills etc and the entire Export work comes to a standstill especially for house stuffed cargo. He said that the said problem is compounded during the month end when shipment deadlines expire and the members were under tremendous pressure to ensure that the shipments go onboard before the last/due date. And that under such situations the shipments get cancelled or penalty were charged by the consignee. He further requested manual examination at the time of system breakdown and to permit the containers to be stacked for export or to load on board if the urgency warrants. He further stated that in the case of reefer containers, if the containers are not allowed to be stacked in the terminal, the same will have to be moved back to the factory or plugged into the trailer generator, incurring additional expenses.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि पिछले छह महीने में खराब होने की घटनाएं बहुत कम थी। कनेक्टिविटी स्थापित नहीं किए जाने के बावजूद, कुछ तर्कसंगत समय के बाद विभाग स्टैकिंग की इजाजत दे देता था।

The chair replied that in the last six months issues of breakdown in connectivity was very less. Even if connectivity was not established, after a reasonable time the department is allowing permission for stacking.

बिंदु सं. 7: कोच्ची हवाईअड्डे पर कोरियर मोड निकासी के लिए पहल (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइसेशन द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point No. 7: INITIATIVE FOR COURIER MODE CLEARANCE AT KOCHI AIRPORT (Point raised by Federation of Indian Export Organisation)

श्री ए.के. विजयकुमार, एफआईओ ने अपने पत्र के तहत सूचित किया था कि कोरियर मोड से आने वाले सभी शिपमेंटों को बेंगलूर या मुंबई में प्रवेश करना पड़ता है इससे एसईजेड में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेवा क्षेत्रों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने प्रचालन के लिए कम्पोनेन्ट विदेश से आयात करवाने पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एसईजेड निकासी के लिए आयातक को संबंधित पोर्ट में आगम पत्र दायर करना पड़ता और ट्रेनिंग प्रति भी निकासी के लिए वहीं भेजनी पड़ती है तथा इससे

शिपमेंट में और देरी होती है क्योंकि कोरियर मोड के लिए प्रवेश पोर्ट बेंगलूर या मुंबई होता है और उन्होंने अनुरोध किया कि कोच्ची हवाईअड्डे पर कोरियर मोड निकासी शुरू की जाए।

Shri. A. K. Vijayakumar, FIEO vide his letter had informed that all shipments arriving as courier mode from abroad have to enter either at Bangalore or at Mumbai and this was adversity affecting the electronic hardware engineering service sectors in SEZ as they need to import components from abroad for their operations. He had further stated that for SEZ clearance, the importer need to file BOE and the transshipment copy need to be send to the respective port for clearing and this further delayed the shipment as the entry port is Bangalore or Mumbai for courier mode and he had requested to start courier mode clearance at Kochi airport

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि एसईजेड ऑनलाइन और कोरियर को जोड़ा जाना संभव नहीं है और उन्होंने सुझाव दिया कि कन्साइन्मेंटों को भारतीय डाक या एयर कारगो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से आयातित किया जा सकता है।

The chair replied that it is not possible to mix SEZ online and courier and he suggested that the consignments can be imported either through India Post or Air Cargo Complex.

बिंदु सं. 8 : जी-कार्ड परीक्षा

Point No. 8: G - CARD EXAMINATION

श्री एब्रहाम फिलिप, सीसीएचएए ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि सीमाशुल्क ब्रोकर कर्मचारियों के लिए जी-कार्ड परीक्षा आयोजित की जाए।

Shri. Abraham Philip, CCHAA requested to the chair to conduct G Card examination for custom broker employees.

अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि वे जल्दी से जल्दी इसका आयोजन करेंगे।

The chair assured that he shall schedule the same at the earliest.

बिंदु सं. 9: निर्यात कन्साइन्मेंट को अनिवार्य रूप से वजन किया जाना

Point No. 9: MANDATORY WEIGHMENT OF EXPORT CONSIGNMENT

श्री एब्रहाम फिलिप, सीसीएचएए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि अभी निर्यात कंटेनरों का वजन किया जाना अनिवार्य है और वेरिफाइड ग्रेस मास (वीजीएम) की प्रविष्टि किए बिना कंटेनर को जहाज़ पर नहीं चढ़ाया जाएगा अर्थात् 'नो वीजीएम, नो गेट-इन' नीति को अपनाया जाना है। उन्होंने कार्यालय समय के बाद कंटेनरों को लोड किए जाने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की क्योंकि केवल एसईजेड4 फार्म के साथ ही कंटेनरों को आईसीटीटी के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कई स्टीमर एजेंटों को पोर्ट में कोई कार्यालय नहीं है और वे शहर में स्थित अपने कार्यालयों से कार्य करते हैं तथा पहले उन्हें एसईजेड4 फार्म एडवांस में मिल जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि अभी स्टीमर द्वारा जारी किए जाने वाले एसईजेड4 फार्म में कंटेनर के वजन की प्रविष्टि की जानी आवश्यक है, क्योंकि पोर्ट में इसे जारी करने के लिए वे उपलब्ध नहीं होंगे इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि यह फार्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाए।

Shri. Abraham Philip, CCHAA informed the chair that now it is mandatory to weigh the export container and without entering the Verified Gross Mass (VGM), the container will not be loaded in the ship i.e., 'No VGM, No Gate-In' policy is to be adopted. He then raised their concerns about loading of containers after office hours as the container will be allowed inside ICTT only with SEZ4 form. He informed the chair that many of the steamer agents do not have an office in the port and they operate from their office in the city and earlier they used to

get the SEZ4 form in advance. He also said that it is now mandatory to enter weight of the container in the SEZ4 form issued by the steamer and as they will not be available in the port to issue the same he requested the form to be transmitted electronically.

अध्यक्ष महोदय ने स्टीमर एजेंटों से इस मामले पर विचार करने और इसका समाधान निकालने को कहा। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस मामले की समीक्षा शीघ्र ही की जाएगी।

The chair asked the steamer agents to take up the issue and find a solution. He also assured the issue will be reviewed shortly.

बिंदु सं.10 : रुकने का समय

Point No. 10: DWELL TIME

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि वर्ष 2012 में रुकने का समय 18 दिन था और वर्ष 2016 में यह घट कर 9 दिन से भी कम हो गया है, उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सिंगल विंडो के कार्यान्वयन के बाद भी रुकने का समय काफी हद तक सीमा के भीतर है।

The chair informed the members that the dwell time in 2012 was 18 days and the same has been reduced to less than 9 days in 2016, which he said was a great achievement. He further stated that even after the implementation of single Window the dwell time is reasonably within limits.

बिंदु सं. 11: एसएमएस सेवा धनवापसी और शुल्कवापसी विंग

Point No. 11: SMS SERVICE REFUND AND DRAWBACK WING

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि पहले उन्हें धनवापसी निकासी में देरी की शिकायतें मिलती थीं, लेकिन वर्तमान में सभी धनवापसी दावे तीन महीने के अंदर निपटाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुधार के एक और कदम के रूप में दायर किए गए दावों के संबंध में सूचना देने के लिए 1 जुलाई, 2016 से धनवापसी और शुल्कवापसी विंग में एसएमएस सेवा शुरू होने वाली है।

The chair informed the members that initially he used to receive complaints about delay in clearing of refund claims, but presently all refund claims are disposed within three months. He further stated that as another step towards improvement SMS service is to be started from 1st of July 2016, both in refund and drawback wing to disseminate information on claims filed.

बिंदु सं. 12: सभी माल गोदामों के लिए नया कोड

Point No. 12: NEW CODE FOR ALL WAREHOUSES

श्री भुवनचंद्रन ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि बंदरगाह, हवाईअड्डा और सीएफएस के समान सभी माल गोदामों को कोड दिए गए हैं और माल गोदाम आगम पत्र या एक्स-बोण्ड आगम पत्र में माल गोदाम का कोड दिया जाना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि इससे माल गोदाम को पहचानना संभव हो जाता है, जहां माल को भेजा गया है और माल गोदाम संख्या दायर करने के बाद कोई निगरानी या जांच कर सकता है।

Shri. Bhuvanachandran informed the chair that codes are given to all warehouses similar to codes given to sea port, air port and CFS and it becomes mandatory to provide WH code in WH B/E or Ex-bond B/E. He said that this will make it possible to identify to which warehouse the goods are consigned to and by entering the warehouse number one can monitor and take stock.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(**डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN**)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 28.07.2016

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone,
Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal
Unit

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members